क्रम-संख्या--211 (च)

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (च)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 29 जुलाई, 2003

श्रावण 7, 1925 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

खाद्य तथा रसद अनुभाग--8

संख्या सी0पी0 829/29-बा 8-2003-सी0पी0 35-2001 टी0सी0

लखनऊ, 29 जुलाई, 2003

अधिसूचना

प0 आ0--478

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 68 सन 1986) की धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (छठा संशोधन) नियमावली 2003

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (छठा संशोधन) नियमावली, 2003 कही जायेगी।

(2) यह 17 अप्रैल, 2002 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

नियम 6 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-6 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :—

स्तम्भ—1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
6 (1) (ख) राज्य आयोग के प्रधान और सदस्य किराया मुक्त आवास के हकदार होंगे। यदि राज्य आयोग के प्रधान या सदस्य को ऐसा सरकारी आवास न दिया जाये तो वे प्रतिमाह 1500 रुपये का मकान किराया भत्ता प्राप्त करेंगे।	6 (1) (ख) राज्य आयोग के प्रधान किराया मुक्त आवास के हकदार होंगे। यदि राज्य आयोग के प्रधान को ऐसा सरकारी आवास न दिया जाये तो वे मकान किराया भत्ता, जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाये, प्राप्त करेंगे। (ग) राज्य आयोग के सदस्य किराया मुक्त आवास के हकदार होंगे। यदि ऐसा कोई आवास राज्य आयोग के सदस्य को न दिया जाये तो वे प्रतिमास 1500 रुपये का मकान किराया भत्ता प्राप्त करेंगे।

आज्ञा से,
पी० के० मिश्र,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. C. P. 829/XXIX-8-2003-C. P. 35-2001, T C—II, dated July 29, 2003:

No. C. P. 829/XXIX-8—2003-C.P. 35-2001,T C-II

Dated Lucknow, July 29, 2003

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (Act no. 68 of 1986), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Consumer Protection Rules, 1987.

THE UTTAR PRADESH CONSUMER PROTECTION (SIXTH AMENDMENT) RULES, 2003

Short title and commencement

1— (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Consumer Protection (Sixth Amendment) Rules 2003.

(2) They shall be deemed to have come into force on April 17. 2003.

Amendment of rule 6

2— In the Uttar Pradesh Consumer Protection Rules. 1987, in rule 6 in sub-rule (1) for clause (b) set out in column—I below. the clause as set out in column—II shall be substituted, namely:—

COLUMN-I *Existing Clause*	COLUMN-II *Clause as here by substituted*
6 [1] (b) The President and the Members of the State Commission shall be entitled to rent free Government accommodation. If no such accommodation is provided to the President or Member of the State Commission, he shall get house rent allowance of Rs. 1500 per month.	6 [1] (b) The president of the State Commission shall be enritled to rent free Government accommodation. If no such accommodation is provided to the President of State Commission, he shall get house rent allowance, as fixed by the Government from time to time.

COLUMN-1 *Existing Clause*	COLUMN-2 *Clause as hereby Substituted*
	(C) The Members of the State Commission shall be entitled to rent free Government accommodation. if no such accommodation is provided, to the Member of the State Commission, he shall get house rent allowance of Rs. 1500 per month.

By order,
P. K. MISHRA
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 2 सा० खाद्य एवं रसद (हि०)—(1990)—2003—1000 (मैक०)।